

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/II/7806

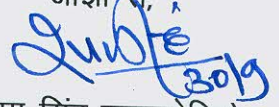
दिनांक: 30.09.20

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत),
अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, चूरू,
दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली,
नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही एवं उदयपुर।

विषय:—आदर्श आचार संहिता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 07.09.2020 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी हो गई थी। पंच एवं सरपंच पदों के प्रथम चरण का मतदान दिनांक 28.09.2020 को सम्पन्न हो चुका है एवं उपसरपंच का चुनाव दिनांक 29.09.2020 को सम्पन्न हो चुका है। अतः प्रथम चरण की जिन ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच और उपसरपंच के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उन ग्राम पंचायतों के संदर्भ में आचार संहिता अप्रभावी घोषित की जाती है।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव